रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13062024-254680
CG-DL-W-13062024-254680

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 2,—जून 8, 2024, शनिवार/ज्येष्ठ 12—ज्येष्ठ 18, 1946
No. 21] NEW DELHI, JUNE 2,—JUNE 8, 2024, SATURDAY/JYAISHTHA 12— JYAISHTHA 18, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 2024

सा.का.नि. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह “ग” पद) भर्ती नियम, 1994 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में पुस्तकालय लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह “ग” पद), भर्ती नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Assistant Director (Administration), Bureau of Police Research and Development - Chairman; 2. Section Officer or Administrative Officer, Bureau of Police Research and Development - Member; 3. One Group 'B', Gazetted officer from Bureau of Police Research and Development - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Assistant Director (Administration), Bureau of Police Research and Development - Chairman; 2. Section Officer or Administrative Officer, Bureau of Police Research and Development - Member; One Group 'B' Gazetted officer from Bureau of Police Research and Development - Member.	Not applicable.

[F.No.23011/31/2023-BPR&D]

W. HITLER, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 2024

सा.का.नि. 69.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (आशुलिपिक श्रेणी-1) भर्ती नियम, 1989; और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-2 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में आशुलिपिक श्रेणी-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्र संगठन, आशुलिपिक श्रेणी 1 (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है |

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे |

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. **निरर्हता: वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी 1	3* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400 - 112400/- रु.)।	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:-** आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
आवश्यक अर्हताएं,- (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री: (ख) अभ्यर्थी सक्षम होगा - (i) दस मिनट में 100 शब्द (अंग्रेज़ी या हिन्दी) प्रति मिनट की दर पर श्रुतलेख लेता हो ; (ii) चालीस मिनट अंग्रेज़ी और पैंतालीस मिनट हिन्दी में प्रतिलेखन। **टिप्पण 1:** टंकण में कौशल परीक्षा कंप्यूटर पर संचालित की जाएगी। **टिप्पण 2:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 3:- अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । टिप्पण:- केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा ।	i. 67% सीधी भर्ती द्वारा; और ii. 33% प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा या प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
11
संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति]: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या मान्यताप्राप्त विश्वद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वाशासी निकायों या क़ानूनी संगठनों के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में छह वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/-रु.) या समतुल्य में दस वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:-** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/-रु.) में ऐसे विभागीय आशुलिपिक श्रेणी-2 जिन्होनें उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है बाहरवालों के साथ विचार किया जायेगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है; तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राहय पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति- (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष; 2. सम्बद्ध निदेशक या उप-सचिव, विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग - सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य; 4. उप निदेशक चक्रानुक्रम द्वारा, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य; 5. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य।	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवशयक नहीं है।

[फा. सं. एस एम/02/21/2018]

दिनेश चंद्र, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 31st May, 2024.

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Stenographer Grade I) Recruitment Rules, 1989; and the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Group "C" and Group "D" posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade I in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1**. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Stenographer Grade I (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** —The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other

special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non- selection post.**	**Age- limits for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Stenographer Grade I.	3*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400- 112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential qualifications,- (a) Bachelor degree from a recognised University or institute; (b) the candidate shall be able to, - (i) take dictation at the rate of hundred words (English or Hindi) per minute for ten minutes; (ii) transcript English for forty minutes and Hindi for forty-five minutes. **Note 1.-** Skill test in typing shall be conducted on Computers. **Note 2.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 3.-** The qualifications regarding experience are relaxable at the	Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees. **Note.-** There shall be a mandatory induction training for direct recruits of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	(i) Sixty-seven per cent. by direct recruitment; and (ii) Thirty-three per cent. by deputation (including short term contract) or by promotion.

discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion]: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or recognised University or recognised research institutions or public sector undertakings or autonomous body or statutory organisations, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in level-5 in the pay matrix (Rs.29200 -92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs.25500 - 81100) or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1.-** The departmental Stenographer Grade-II in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2.-** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member; 3. Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member; 4. Deputy Director by rotation, National Atlas and Thematic Mapping Organisation- Member; 5. Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary for making recruitment.

years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. SM/02/21/2018]

DINESH CHANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 2024

सा.का.नि. 70.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ज्येष्ठ भंडारी तथा भंडारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ज्येष्ठ भंडारी तथा भंडारी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि. - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद/पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. आरंभिक गठन. - सेवा नियमों में वर्णित भंडारी ग्रेड-2 तथा भंडारी ग्रेड-3 के पदों के पदधारी, क्रमश: ज्येष्ठ भंडारी तथा भंडारी के रूप में पुनः पदाभिहित हुए हैं और इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व पद में ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी गई सेवाएं, वरिष्ठता तथा प्रोन्नति आदि के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा के रूप में ली जाएगी। ऐसे अधिकारीयों की वरिष्ठता का रखरखाव भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा वरिष्ठता पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार नियत की जाएगी।

6. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।